"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2019 — आषाढ़ 4, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 जून 2019

अधिसूचना

कमांक/ एफ-2/ 8/ 2013/ नौ/ 55/ तीन .— राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग अंतर्गत प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु "छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश परीक्षा नियम 2013" को उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) **संक्षिप्त नाम :-**

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम- 2019" होगा।

1.2 ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(2) **परिभाषा** :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :-

2.1 "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

2.2 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ एवं देश के अन्य किसी भी राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालय।

2.3 "श्रेणी" से अभिप्रेत है, चार में से कोई एक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा अनारक्षित श्रेणी।

2.4 "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य एवं देश के अन्य किसी भी राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालयों में संचालित सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य विशेषज्ञताओं में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

2.5 ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य एवं देश के अन्य किसी भी राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा।

2.6 ''परीक्षक'' से अभिप्रेत है, प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन/ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित संस्था।

2.7 ''अखिल भारतीय कोटा'' से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवारों से भरी जाने वाली सीटें।

2.8 ''केन्द्रीय विनियम'' से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016.

2.9 ''क्लिनिकल विषय'' से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) के नवीनतम विनियम में उल्लेखित क्लिनिकल विषय।

(3) उपलब्ध सीटें :-

3.1 सीटों की संख्या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित की जावेंगी।

3.2 कुल उपलब्ध सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा हेतु एवं शेष 85 प्रतिशत सीटें छत्तीसगढ़ प्रदेश के उम्मीदवारों हेतु उपलब्ध रहेंगी।

3.3 राज्य कोटे की क्लीनिकल विषयों की कुल सीटों में से बीस प्रतिशत सीटें राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नियमित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के लिये उपलब्ध रहेंगी।

(4) आरक्षण :-

4.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध सीटों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश अनुसार होगा।

4.2 श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश अनुसार होगा।

4.3 आरक्षण केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही मिलेगा ।

4.4 अखिल भारतीय कोटा के रिक्त रह गये सीटों एवं राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा में कार्यरत नियमित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के लिये उपलब्ध किसी भी श्रेणी के सीटों के रिक्त रहने पर इन सीटों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों हेतु तैयार आरक्षण रोस्टर के अग्रिम बिन्दुओं पर क्रमशः प्रतिस्थापित कर नियमानुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

4.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को शासन द्वारा प्राधिकृत, सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.6 किसी आरक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवार न मिलने की दशा में उन्हें अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर रिक्त सीटों की पूर्ति निम्नानुसार की जावेगी :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गये सीट अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। इसी प्रकार अनुसूचित

जाति के लिये आरक्षित रिक्त रह गयी सीट अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। इन दोनों श्रेणियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गये सीटों को अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

(5) **प्रायोजन प्रमाण पत्र/ अनुमति पत्र :-**

5.1 पाठ्यक्रम के लिये केवल ऐसे शासकीय सेवारत उम्मीदवार ही प्रायोजन/ अनुमति के पात्र होंगे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व 5 वर्षों की नियमित शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो।

5.2 नियमित शासकीय सेवारत उम्मीदवारों को प्रवेश के समय नियोजक का प्रायोजन प्रमाण पत्र/ अनुमति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.3 यह पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होगा तथा प्रवेशित उम्मीदवारों को निजी चिकित्सा व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।

5.4 नियमित शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु का निर्धारण इस आधार पर किया जावेगा कि स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत उनकी, कम से कम 5 वर्षों की सेवा अवधि शेष हो।

5.5 ऐसे नियमित शासकीय सेवारत अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है अथवा जो निलंबित हैं अथवा जिनके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है अथवा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही की गई है, प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

5.6 नियमित शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कोटा, गैर-शासकीय कोटा, अन्य राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित केन्द्र सरकार के नामांकन द्वारा अर्थात् चयन के किसी भी प्रणाली से देश के किसी भी संस्था के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चयनित होने पर प्रवेश लेने हेतु राज्य शासन द्वारा केवल एक ही बार अनुमति/ अध्ययन अवकाश दिया जायेगा।

5.7 नियमित शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 तथा समय-समय पर किये गये संशोधन एवं तत्समय प्रचलित विनियम / अधिसूचना में निर्धारित क्लिनिकल विषयों में ही स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु अनुमति दी जायेगी।

5.8 नियमित शासकीय सेवारत उम्मीदवारों को उनके नियोजक द्वारा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

5.9 देश के किसी भी संस्था से आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र् में प्रदेश में तत्समय कुल कार्यरत् नियमित शासकीय चिकित्सा अधिकारियों में से अधिकतम प्रतिशत चिकित्सकों को ही प्रवेश/ अध्ययन की अनुमति दी जायेगी।

इस हेतु शासकीय सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 07 दिवस के अंदर अपने प्रवेश पत्र एवं परीक्षाफल (अंकसूची) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करना होगा।

5.10 निर्धारित प्रतिशत से अधिक संख्या में चयनित होने की दशा में प्रावीण्य सूची में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी। प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को प्रावीण्यता कम में ऊपर रखा जावेगा।

5.11 नियमित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ स्नातकोत्तर अध्ययन के उपरांत कम से कम 3 वर्ष की सेवा मूल विभाग में छत्तीसगढ़ शासन के अधीन करने का बन्ध पत्र (Bond) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाऐं (अवकाश) नियम-2010 में निर्धारित प्रपत्र में 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प में जमा करना आवश्यक होगा। स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण नहीं करने पर तथा बन्ध पत्र के शर्तो के उल्लंघन करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवाऐं (अवकाश) नियम-2010 के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) **अर्हताएं** :- उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित सभी अर्हतायें पूर्ण करनी होगी :-

6.1 वह भारत का नागरिक हो।

6.2 वह पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालयों में संचालित त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित योग्यता एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) के नवीनतम विनियम, के अनुसार निर्धारित योग्यता रखता हो।

6.3 उसने किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, जो पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर की बी.ए.एम.एस. उपाधि के समकक्ष हो तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से मान्यता प्राप्त हो।

6.4 उसने इन्टर्नशीप/ हाउसजॉब संतोषप्रद ढंग से पूर्ण किया हो। इस आशय का संबंधित संस्था के प्राचार्य का प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6.5 उम्मीदवार का केन्द्रीय अथवा किसी राज्य के मान्य आयुर्वेद बोर्ड/ परिषद में स्थायी पंजीयन होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(7) **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संबंधी आवश्यकताएं :-**

छत्तीसगढ़ का मूल निवासी उन्हीं उम्मीदवारों को माना जावेगा जो छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मूल निवासी की परिभाषा में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति करते हों। इस हेतु उन्हें राज्य शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(8) **प्रवेश परीक्षा :-**

8.1 प्रवेश परीक्षा राज्य शासन/ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित परीक्षक संस्था द्वारा संचालित की जावेगी।

8.2 प्रवेश परीक्षा के संपूर्ण नियम आल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रेंस टेस्ट (AIAPGET) के अनुसार होगा।

8.3 परीक्षक परीक्षा आयोजित करेगा, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा, परिणामों की घोषणा करेगा एवं प्रावीण्य-सूची बनायेगा।

(9) **न्यूनतम अर्हकारी अंक/ प्रावीण्य सूची/ प्रतीक्षा सूची :-**

9.1 प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में उस शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम 50 प्रतिशतक अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में

अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशतक अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरण – आयुष मंत्रालय भारत सरकार/ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के नवीनतम विनियम/ अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक एवं निर्देश मान्य होगा।

9.2 न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम प्रावीण्य सूची में शामिल किये जावेंगे। प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्रावीण्यता कम में ऊपर रखा जावेगा।

9.3 प्रतीक्षा सूची – यह उन पात्र उम्मीदवारों की सूची होगी जो प्रावीण्य सूची में नीचे हैं। जब प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवार अपनी-अपनी श्रेणी में उपलब्ध सभी स्थान चुन लेंगे तो प्रावीण्य सूची के शेष उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में माने जावेंगे। ऐसे उम्मीदवार पर कोई सीट रिक्त होने की स्थिति में विचार किया जावेगा।

9.4 विषय परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तारीख से अधिकतम दो माह की अवधि के भीतर संबंधित विभाग में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्डानुसार शिक्षक की उपलब्धता होने पर, उपलब्ध रिक्त सीट पर, किया जा सकेगा।

(10) काउंसिलिंग :-

10.1 अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण/ संस्था द्वारा काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। तथा राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश की कार्यवाही प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से संचालक, आयुष छत्तीसगढ़ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। अखिल भारतीय कोटा की सीटों में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित संस्था द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के बाद रिक्त रह गई सीटों को केन्द्र सरकार द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात् राज्य कोटा की सीट में परिवर्तित कर नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

10.2 श्रेणीवार उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर न्यूनतम 1:2 के अनुपात में प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु उनके स्वयं के व्यय पर उपस्थित होने के लिए सूचना डाक/ समाचार पत्र/ वेबसाइट/ अन्य संचार माध्यमों द्वारा दी जावेगी।

10.3 काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रूपये 600/- (रूपये छः सौ) तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) होगा।

10.4 काउंसिलिंग निम्न कम से की जावेगी :-

1. अनारक्षित।
2. अनुसूचित जनजाति।
3. अनुसूचित जाति।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग।
5. शासकीय सेवक।

10.5 काउंसिलिंग में चयनित विषय कंडिका 9.4 के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति में अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

10.6 आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो प्रावीण्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के काउंसिलिंग में भाग लेते हैं तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित विषयों में से ही रिक्त विषय का चयन करना होगा। यदि उन्हें अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित विषय का चयन करना है, तो उन्हें उस श्रेणी की काउंसिलिंग में भाग लेना होगा।

10.7 किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्यता सूची में भी हो, उसे अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय विषय चयन नहीं करने की स्थिति में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10.8 यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि काउंसिलिंग के लिए नियत तारीख एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो वह प्रवेश के लिए अपने सभी अधिकार खो देगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

10.9 भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ही प्रवेश दिया जावेगा।

(11) **प्रवेश :-**

11.1 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों को सूचित किये गये दिनांक एवं समय तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थिति देनी होगी। ऐसा न करने पर बिना किसी नोटिस/ सूचना के उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11.2 प्रवेश लेने वाले सभी उम्मीदवारों के सभी मूल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने तक अथवा त्यागपत्र देने तक, जो भी पहले हो, महाविद्यालय में जमा रहेंगे।

11.3 प्रत्येक प्रवेशित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को रूपये 20,000/- (बीस हजार रू. मात्र) की राशि सुरक्षा राशि के रूप में जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 60,965/- (साठ हजार नौ सौ पैंसठ रू. मात्र) से अधिक नहीं है, को यह राशि जमा नहीं करनी होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 60,965/- (साठ हजार नौ सौ पैंसठ रू. मात्र) से अधिक है, उन्हें तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को रूपये 10,000/- (दस हजार रू. मात्र) सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना होगा। जो उसे पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।

11.4 पाठ्यक्रम में चयनित उम्मीदवार को रूपये 50/- (पचास रू. मात्र) मूल्य के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि वह पाठ्यक्रम को पूरा होने के पहले नहीं छोड़ेगा अन्यथा उसे उक्त तिथि तक भुगतान किये गये शिष्यवृत्ति की दोगुनी राशि तत्काल महाविद्यालय में वापस करना होगा, अन्यथा भूराजस्व के बकाया की भांति वसूली की जावेगी। शासकीय सेवारत अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवाऐं (अवकाश) नियम-2010 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

11.5 सेवारत अभ्यर्थी सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश के समय और उसके पश्चात्, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, तो उसका नियमित रूप से भुगतान करना होगा।

11.6 पाठ्यक्रम में प्रवेशित प्रत्येक छात्र/ छात्रा को संतोषप्रद अध्ययन एवं आचरण तथा नियमित उपस्थिति के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति प्रदान की जावेगी।

(12) देय अवकाश एवं शर्ते :-

स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं (इसमें शासकीय सेवारत अभ्यर्थी भी सम्मिलित है।) को निम्नानुसार अवकाश देय होगा :-

12.1 एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)।

12.2 स्नातकोत्तर अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शैक्षणिक कैलेण्डर में कुल 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक साथ अधिकतम 08 दिवस की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

12.3 चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक शैक्षणिक कैलेण्डर में बिना शिष्यवृत्ति के अधिकतम कुल 10 दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। इससे अधिक चिकित्सकीय अवकाश लेने पर अनुपस्थिति दिवस के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

12.4 सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, गोष्ठी आदि शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रत्येक शैक्षणिक कैलेण्डर में अधिकतम कुल 15 दिवस शैक्षणिक अवकाश की पात्रता होगी। इस हेतु विभागाध्यक्ष की संस्तुति आवश्यक होगी। सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, गोष्ठी आदि शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12.5 संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्राओं को प्राचार्य की पूर्व अनुमति से शिष्यवृत्ति के बिना अधिकतम 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश पर जाने की तिथि से 10 दिन के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शिष्यवृत्ति के बिना अनुपस्थिति दिवस के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

12.6 उक्त व्यवस्था के प्रभावशील होने के दिनांक से उक्त शर्ते पूर्व एवं नवीन प्रवेशित छात्र/छात्राओं पर लागू होंगे।

(13) प्रवेश का निरस्तीकरण :-

13.1 यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के महाविद्यालय में प्रवेश के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रासंगिक तथ्य छिपाया था अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में किसी भी समय यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था, तो ऐसे उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश, बिना किसी सूचना के, उसके अध्ययन की अवधि में किसी भी समय संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

13.2 प्रवेश के पश्चात् बिना किसी ठोस आधार (यथा गम्भीर बीमारी/दुर्घटना) एवं तत्सम्बंधी लिखित सूचना के बिना लगातार तीन माह तक अनुपस्थित रहने पर तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता प्रमाणित होने पर संस्था प्रमुख द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में नियम 11.3 तथा 11.4 लागू होंगे।

(14) नियमों की व्याख्या :-

नियमों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

(15) निरसन :-

इन नियमों के प्रवृत्त होने के तिथि से " छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश परीक्षा नियम 2013" यथा संशोधित निरसित माने जावेंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी। पूर्व प्रदेशित छात्रों पर भी यह नियम लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

—: अधिसूचना :—

दिनांक 01 / 12 / 2020

कमांक / एफ–2 / 8 / 2013 / नौ / 55 / तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग अंतर्गत प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यकम में प्रवेश हेतु "छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम, 2019" में निम्नलिखित संशोधन करता है। अर्थात्

—: संशोधन :—

उक्त नियम में :—

01. नियम (2) के उपनियम 2.3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

2.3 "श्रेणी" से अभिप्रेत है, पांच में से कोई एक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) **ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)** तथा अनारक्षित श्रेणी।

02. नियम (4) के उपनियम 4.5 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थामित किया जाता है, अर्थात् :—

4.5 अनुसूचित ज़ाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), श्रेणी के होने का दावा करने वाले उम्मीद्वारों को शासन द्वारा प्राधिकृत, सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

03. नियम (4) के उपनियम 4.6 के छठवें पंक्ति में (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पश्चात् **तथा ई.डब्ल्यू. एस.(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)** अन्तःस्थापित किया जाता है।

04. नियम (5) के उपनियम 5.9 के द्वितीय पंक्ति में "नियमित शासकीय चिकित्सा अधिकारियों में से" के पश्चात् शब्द **"प्रत्येक श्रेणी के"** तथा "अधिकतम" के पश्चात् अंक एवं शब्द **"3 (तीन)"** अन्तःस्थापित किया जाता है।

05. नियम (9) के उपनियम 9.2 एवं 9.3 को विलोपित किया जाता है।

06. नियम (10) के उपनियम 10.1 की अंतिम पंक्ति में "कार्यवाही की जावेगी।" के पश्चात निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाती है :—

"छत्तीसगढ़ राज्य के आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध सीटों में प्रवेश के इच्छुक प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से संचालक आयुष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) की प्रावीण्यता के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। इस हेतु यथासमय विज्ञप्ति जारी की जायेगी।"

07. नियम (10) के उपनियम 10.4 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:–

1. अनारक्षित
2. ई.डब्ल्यू.एस.
3. अनुसूचित जनजाति
4. अनुसूचित जाति
5. अन्य पिछड़ा वर्ग
6. शासकीय सेवक

08. नियम (11) के उपनियम 11.3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:–

"11.3 प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी को नियमानुसार शासन/महाविद्यालयीन स्वशासी समिति द्वारा समय–समय पर श्रेणीवार छूट सहित निर्धारित सुरक्षानिधि की राशि जमा करना होगा, जो उसे पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी बीच में पाठ्यकम छोड़ देता है, तो उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।"

09. नियम (11) के उपनियम 11.5 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:–

"11.5 सेवारत अभ्यर्थी सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश के समय और उसके पश्चात् शासन/महाविद्यालय कें स्वशासी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नियमित रूप से भुगतान करना होगा।"

10. नियम (13) के पश्चात् नियम (13) क निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

(13) क. "आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हताकारी प्राप्तांक तथा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश एवं संशोधन समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेगें।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेणु जी पिल्ले)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग